A9

न्यायालय : अति0 जिला कलक्टर (प्रशासन) श्री गंगानगर। 32/2015

अति.जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी : करतारसिंह पूनियॉ, आर.ए.एस.

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

निगरानी पंचायत प्रकरण सं0 32/15

सचिव, ग्राम पंचायत, मिर्जेवाला, पंचायत समिति, श्री गंगानगर तह0 व जिला श्रीगंगानगर।

निगरानीकर्ता

बनाम

1. सफूरखॉ पुत्र श्री जीवनखॉ जाति कयामखानी निवासी मिर्जेवाला तह0 व जिला श्रीगंगानगर। (मृतक) के विधिक उतराधिकारी
   - 1.1 बिस्मीला पत्नी सफूरखॉ
   - 1.2 मैना बानो पुत्री
   - 1.3 शरीफ मोहम्मद पुत्र
   - 1.4 अनवर बानो पुत्री
   - 1.5 मोहम्मद रोशन पुत्र
   - 1.6 सबनम बानो पुत्री
   - 1.7 रूकसाना बानो पुत्री
   - 1.8 प्रवीण बानो पुत्री
   - 1.9 जरीनर बानो पुत्री

   पिसरान सफूरखॉ अकवाम मुसलमान निवासी गॉव मिर्जेवाला तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
2. सरपंच, ग्राम पंचायत, मिर्जेवाला तहसील व जिला श्रीगंगानगर।

अप्रार्थीगण

निगरानी विरूद्ध आदेश दिनांक 10–4–98 ग्राम पंचायत मिर्जेवाला

उपस्थित : 1. श्री गुरचरणसिंह, अधिवक्ता, निगरानीकर्ता
2.श्रीराजेन्द्रकुमार अधिवक्ता, अप्रार्थीगण सं01 की ओर से

आदेश दिनांक : 28.04.2017

हस्तगत निगरानी के तथ्य सक्षेंप में इस प्रकार हैं कि सतर्कता समिति द्वारा की गई जॉच में यह माना गया कि आवंटी अप्रार्थी सं0 1 जो कि उक्त भूखण्ड सं0 500 आबादी भूमि मिर्जेवाला को बेचने का अधिकार नहीं था क्योंकि उसे

LAO
अति.जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

Scanned by CamScanner

32
2011

अति.जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

ग्राम पंचायत द्वारा निःशुल्क आवंटन किया गया था। विक्रय विलेख की शर्त सं0 3 में भूखण्ड बेचने का अधिकार आवंटी को नहीं है। आवंटी अप्रार्थी सं0 1 द्वारा निगरानीकृत भूखण्ड का बेचान दिनांक 4–4–11 को कृष्ण गोदारा को कर दिया गया व इसके कुछ भाग का बेचान उसके द्वारा दिनांक 18–12–11 को सुखदेवसिंह पुत्र भजनसिंह को कर दिया गया जबकि अप्रार्थी सं0 1 को ग्राम पंचायत द्वारा निःशुल्क आवंटित किया गया था इसलिए उसे भूखण्ड को आगे बेचने का अधिकार नहीं था। पट्टा दिनांक 10–4–1988 का ग्राम पंचायत में कोई रेकार्ड नहीं है। ग्राम पंचायत द्वारा आवंटन के संबंध में कानूनी प्रावधानों की पालना में कोई विधिसम्मत कार्यवाही नहीं की गई है। पंचायत अधिनियम, 1953 के प्रावधानों के अनुसार नियम 272 व अन्य नियमों की पालना नही की गई है। अप्रार्थी सं0 2 द्वारा पट्टे में दी गई शर्तो की पालना नहीं की गई है। वर्तमान में उक्त भूखण्ड पर शंकर लाल पुत्र श्री कान्हाराम का कब्जा है। उक्त आवंटन गुवाड़ से चिपती हुई जगह का गलत रूप से आवंटन किया गया है, जिससे आने जाने का रास्ता अवरूद्ध हुआ है। इस प्रकार निवेदन किया है कि निगरानी स्वीकार की जातर निगरानीकृत पट्टा निरस्त फरमाया जावे।

निगरानी पर उभय पक्ष की बहस सुनी गई। पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया गया।

निगरानीकर्ता के अधिवक्ता ने निगरानी में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए अपनी बहस में कहा है कि ग्राम पंचायत द्वारा अप्रार्थी सं0 1 को निःशुल्क भूखण्ड का आवंटन किया गया था, उस भूखण्ड को उसे आगे बेचने का अधिकार नहीं था। ग्राम पंचायत के पास आवंटन से संबंधित कोई रेकार्ड नहीं है, यह जॉच से सावित हो चुका है। निगरानीकृत भूखण्ड गुवाड़ से चिपती हुई जगह है, जिसे आवंटन करने का अधिकार ग्राम पंचायत को नहीं है। अतः निगरानी स्वीकार की जाकर निगरानीकृत पट्टा निरस्त फरमाया जावे।

अप्रार्थी सं01 के अधिवक्ता ने अपनी बहस में कहा है कि निगरानी मृत व्यक्ति के खिलाफ पेश की गई है, इसलिए निगरानी खारिज किये जाने योग्य है। अप्रार्थी सं0 1 द्वारा रजिस्टर्ड बैयनामा से भूखण्ड का विक्रय किया गया है इसलिए पंजीकृत दस्तावेज को निरस्त करने का अधिकारी सिविल न्यायालय को होने से निगरानी खारिज किये जाने योग्य है। कानूनी आपतियों के संबंध में अप्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र भी प्रस्तुत किया गया है। इस प्रकार निवेदन किया है कि निगरानी खारिज की जावे।

जवाब में निगरानीकर्ता के अधिवक्ता ने कहा है कि अप्रार्थी सं0 1 के देहान्त की रिपोर्ट सीगा प्राप्त होने पर जानकारी हुई कि उसका देहान्त हो गया है। निगरानी धारा 97 राज0 प्रचायत राज अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत पेश की गई है, जिसे सुनने का अधिकार इस न्यायालय को है। अतः निगरानी स्वीकार की जावे।

अति.जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

Scanned by CamScanner

32
205

अति.जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया गया।

शिकायतकर्ता श्री अनिल गोदारा द्वारा तत्कालिन जिला कलक्टर के समक्ष दिनांक 22–5–15 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निगरानीकृत भूखण्ड सं0 500 पर दो मंजिला बनाई गई दुकानों को हटाने के संबंध में शिकायत की गई थी। उक्त शिकायत को सतर्कता समिति में रखा गया। सतर्कता समिति द्वारा शिकायत की जॉच विकास अधिकारी, श्री गंगानगर से करवाई गई। विकास अधिकारी द्वारा जॉच समिति का गठन कर जॉच करवाई गई। जॉच रिपोर्ट के अनुसार निगरानीकृत भूखण्ड सं0 500 का निशुल्क पट्टा अप्रार्थी सं0 1 को जारी होना दर्शाया गया है। आवंटी द्वारा उक्त भूखण्ड कृष्ण गोदारा को बेच दिया गया और खरीददार के नाम उप पंजीयक, श्री गंगानगर से दिनांक 4–4–11 को पंजीयन करवा लिया गया। तत्पश्चात् जरिये इकरारनामा कृष्ण गोदारा द्वारा उक्त भूखण्ड सं0 500 शंकर लाल पुत्र कान्हाराम को बेचान कर दिया गया। पट्टे की शर्तो के अनुसार आवंटी को निःशुल्क भूखण्ड का आवंटन किया गया था, जिसे विक्रय करने का अधिकार आवंटी को नहीं था। जॉच में यह भी पाया गया कि निगरानीकृत पट्टे से संबंधित कोई रेकार्ड ग्राम पंचायत के पास उपलब्ध नहीं है। आवंटी द्वारा पट्टे की शर्तो के विपरीत भूखण्ड का हस्तान्तरण किया गया है।

चूँकि ग्राम पंचायत द्वारा बिना कानूनी प्रकिया अपनाए, बिना रेकार्ड का संधारण किये, अप्रार्थी सं0 1 को विधिविरूद्व पट्टा जारी किया गया है, जिसका कोई विधिक अस्तित्व नहीं है। निगरानीकृत पट्टे का विधिक अस्तित्व न होने के कारण आवंटी द्वारा किया गया बेचान भी अवैधानिक है। चूँकि पंजीकृत बैयनामा से बेचान किया गया है इसलिए पंजीकृत दस्तावेज को निरस्त करने का अधिकार सिविल न्यायालय को है। मेरे विन्रम मत में, निगरानीकृत पट्टा कानूनी प्रावधानों के पालना किये बिना अप्रार्थी सं0 1 को जारी किया गया है, जो विधिविरूद्व होने से खारिज होने योग्य है।

फलस्वरूप, निगरानीकर्ता की निगरानी स्वीकार की जाती है तथा निगरानीकृत पट्टा सं0 500 विधिविरूद्व होने से खारिज किया जाता है।

आदेश की प्रति विकास अधिकारी, श्री गंगानगर एवं ग्राम पंचायत, मिर्जेवाला को भेजी जावे ।

आदेश आज दिनांक 28–4–17 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर (राज.)

(करतारसिंह पूनियां)
अति0 जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्री गंगानगर।

अति.जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

Scanned by CamScanner